41

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण कमांक : 4210–तीन/2014 निगरानी – विरूद्व आदेश दिनांक 11–11–2014 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा – प्रकरण कमांक 819/2012–13 अपील

रामप्रसाद वर्म पुत्र सूर्यदीन वर्मा
निवासी नारेन्द्र नगर खुटेही
तहसील हुजूर जिला रीवा ———आवेदक

विरूद्व

1– श्रीमती रामसखी पत्नि स्व. रामकिशोर तिवारी
2– उमेशकुमार 3– सुरेष कुमार 4– वृजेशकुमार
5– दिनेशकुमार 6– कमलेशकुमार पुत्रगण स्व.रामकिशोर
सभी निवासी मोहल्ला अमहिया रीवा तहसील हुजूर जिला रीवा
7–श्रीमती आशासिंह पत्नि अरूणप्रताप सिंह निवासी
नागेन्द्र नगर रीवा तहसील हुजूर जिला रीवा
8–मेसर्स न्यूवीजन डेवलपर्स के हस्ताक्षरकर्ता/पार्टनर
वीरेन्द्र वर्मा पुत्र स्व.रामदुलारे निवासी एच.आई.जी. 8
शॉतिविहार कालोनी पडरा रीवा तहसील हुजूर,
जिला रीवा , मध्य प्रदेश ———अनावेदकगण

(आवेदक स्वयं एंव अभिभाषक श्री आर0डी0कुशवाह)
(अनावेदक 3,4 के अभिभाषक श्री कुलदीप सिंह)
(अनावेदक 8 के अभिभाषक श्री पंकज मिश्रा)

आ दे श

(आज दिनांक 9 – 07 –2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 819/2012–13 अपील में पारित आदेश दिनांक 11–11–2014 के विरूद्व मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक कमांक 1 लगायत 6 ने

तहसीलदार हुजूर के यहॉ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मांग की कि ग्राम खुटेही की भूमि सर्वे नंबर 435 रकबा 0.04 एकड़ सूर्यदीन के पिता जगन्नाथ ने आधिपत्य में सौंपी थी तब से निरन्तर काविज है इसलिये विरोधी आधिपत्य के आधार पर नामान्तरण किया जाय। तहसीलदार हुजूर जिला रीवा ने प्रकरण कमांक 21 अ 6/2991–92 पॅजीबद्व किया तथा सुनवाई करके आदेश दिनांक 6–12–1992 पारित किया तथा अनावेदक कमांक–1 से 6 का दावा स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्व आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी हुजूर जिला रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी हुजूर ने प्रकरण कमांक 22 अ–6/2001–02 अपील में पारित आदेश दिनांक 11–1–13 से अपील अस्वीकार की। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 819/2012–13 अपील में पारित आदेश दिनांक 11–11–2014 से अपील निरस्त कर दी। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों पर उपस्थित पक्षकारों के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अनावेदक 3, 7 की ओर से प्रस्तुत लेखी बहस के साथ उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदक 3,4,8 को छोड़कर शेष अनावेदकगण के विरूद्व एकपक्षीय है।

4/ आवेदक के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्को पर विचार करने , लेखी बहस एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि तहसीलदार हुजूर ने विचारोपरांत आदेश दिनॉक 6–12–92 में इस प्रकार का निष्कर्ष अंकित किया है–

आवेदक के अभिभाषक ने रा0नि0 170 वर्ष 1982 उच्च न्यायालय रघुवरदयाल विरूद्व तुलसीराम, 316 काशीराम वि. नाथू वर्ष 1980 उच्च न्यायालय व्दारा अवधारित न्याय दृष्टांत की ओर ध्यान आकृष्ठ किया। न्याय दृष्टांतों में यह प्रतिपादित किया गया है कि 12 वर्ष से लगातार कब्जा होने पर विरोधी कब्जाधारी को नामान्तरण के अधिकार उत्पन्न हो जाते हैं। आवेदकगण तथा इसके पूर्व पूर्वज का वादग्रस्त आराजी में वर्ष 1968 से निरन्तर आवादी कायम है। आवेदकों को प्रतिकूल कब्जाधारी होने से स्वत्व अंतरण के अधिकार उत्पन्न हो गया है।

अनुविभागीय अधिकारी हुजूर ने आदेश दिनांक 11–1–13 में इस प्रकार निष्कर्ष दिया है :–

अपीलार्थी संपूर्ण 0.04 ए. के नामांतरण के विरूद्व अपील प्रस्तुत की गई, वादग्रस्त भूमि का कुल 0.10 डि. था तथा यदि अधिकार अभिलेख तैयार किये जाने के पूर्व ही वादग्रस्त भूमि का अन्य लोगों के मकान बने हुये थे तो अपीलार्थी अधिकार अभिलेख में दर्ज नामान्तरण के विरूद्व कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई तथा अधिकार अभिलेख की प्रविष्टियों को सुधारने वावत भी कोई आवेदन पत्र सक्षम न्यायलय में प्रस्तुत नहीं किया गया। तब यहां यह भी विचारणीय प्रश्न उठता है कि जो प्रकरण कमांक 21 अ–6/91–92 आदेश दिनांक 6–12–92 को पारित किया गया है वह अपीलार्थी के पिता सूर्यदीन के विरूद्व था। सूर्यदीन व्दारा अपने जीवन काल में कोई अपील प्रस्तुत नहीं की। अपीलार्थी व्दारा अपने अपील मेमो में लेख किया गया है कि उसे पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी, यह संभव भी है क्योंकि आदेश उसके पिता के विरूद्व हुआ था , तब पिता की ओर से दिनांक 24–4–02 को अपील प्रस्तुत की गई जो संदेह से परे नहीं है जिसे कि अधिकार अभिलेख में 0.01 डि. का नामान्तरण स्वीकार किया गया। शेष 0.04 डि. में आवादी के जरिया कब्जा अंकित किया गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय व्दारा समस्त विधिक प्रकियाओं का पालन करते हुये अपीलाधीन आदेश दिनांक 6–1–92 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के आदेश दिनांक 11–11–2014 में भी इसी आशय के निष्कर्ष दिये गये है। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुंजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 819/2012–13 अपील में पारित आदेश दिनांक 11–11–2014 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर